प्रेस नोट दि0-08.07.2025
थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का खुलासा — हथिगवां पुलिस को बड़ी सफलता, 02 अपराधी गिरफ्तार, 01 अदद टेम्पो(घटना में प्रयुक्त), दो अदद गेट लोहे के व दो अदद जीआई प्लेट (सफेद रंग) बरामद

➡पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा चोरी की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

➡थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अभियुक्तों को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत धीमी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 05.07.2025 को अभियुक्तों द्वारा ग्राम दरियापुर में पंचायतभवन के पास बन रही पानी की टंकी के बाउंड्री वॉल के 02 गेट व पानी के टंकी के ऊपर की 02 प्लेट चोरी करने के प्रकरण में थाना हथिगवां पर मु0अ0सं0 129/2025 धारा 303 (2) बी.एन.एस. बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमर नाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 अजय कुमार, का0 अजित सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां में पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2025 धारा 303 (2) बी.एन.एस. से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों 01.शिवम शुक्ला पुत्र राकेश शुक्ला उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम नौबस्ता डांडी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़, 02. अरविन्द यादव पुत्र राम नरेश यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झाझा का पुरवा परसीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र हथिगवां के धीमी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद टेम्पो रंग लाल हरा (चोरी की घटना में प्रयोग की हुयी),चोरी के 02 अदद गेट लोहे के व दो अदद जीआई प्लेट जस्तेदार सफेद रंग के बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 05.07.2025 की रात करीब 11 बजे हम दोनो दरियापुर में पंचायतभवन के पास बन रही पानी की टंकी के बाउंड्री वॉल के 02 गेट व पानी के टंकी के ऊपर की 02 प्लेट चोरी की थी। आज दिनांक 07.07.2025 को हम लोग चोरी के सामान को टेम्पो मे लादकर छूपते छूपाते हुये आज बेचने जा रहे थे कि आप लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01.शिवम शुक्ला पुत्र राकेश शुक्ला उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम नौबस्ता डांडी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
02.अरविन्द यादव पुत्र राम नरेश यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झाझा का पुरवा परसीपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01- 01 अदद टेम्पो रंग लाल हरा (चोरी की घटना में प्रयोग की हुयी)

02- 02 अदद गेट लोहे के

03- 02 अदद जीआई प्लेट जस्तेदार सफेद रंग।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 अजय कुमार, का0 अजित सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-08.07.2025

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

➡पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा@0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

हत्या का प्रयास,मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने व एससी एसटी एक्ट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

➡थाना कोहंडौर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 06.07.2025 को वादिनी व वादिनी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा लाठी डंडा से मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने आदि के प्रकरण में थाना कोहंडौ@र पर मु0अ0स0 105/25 धारा 3(5)/191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351(3)/109(1) BNS व 3 (1) /3(1) ध/3(2)5क/3(2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 12 नामजद व 06 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह का0 संदीप कुशवाहा, का0 गौरव तिवारी, का0 सौरभ सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोहंडौर में पंजीकृत मु.अ.स. 105/25 धारा 3 (5)/191(2)/191 (3)/115 (2)/352/351(3)/109(1) BNS व 3 (1) /3(1) ध/3(2)5क/3(2)5 एससी एसटी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों 1.सर्वेश मिश्रा उर्फ बन्ने मिश्रा पुत्र स्व. राजनारायण मिश्रा उम्र करीब 38 वर्ष निवासी धनुपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर, 02.आजाद मिश्रा पुत्र मूलचन्द्र मिश्रा उर्फ कप्तान उम्र करीब 19 वर्ष निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ को कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.सर्वेश मिश्रा उर्फ बन्ने मिश्रा पुत्र स्व. राजनारायण मिश्रा उम्र करीब 38 वर्ष निवासी धनुपुर थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर ।

2.आजाद मिश्रा पुत्र मूलचन्द्र मिश्रा उर्फ कप्तान उम्र करीब 19 वर्ष निवासी पूरे कुमार सूर्यगढ़ थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
थाना प्रभारी धनन्जय राय मय हमराह का0 संदीप कुशवाहा, का0 गौरव तिवारी, का0 सौरभ सिंह।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा /कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र यादव उर्फ गुल्लू यादव के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 पल्सर मोटरसाइकिल (काले रंग) बरामद-

थाना अन्तू पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत खैरा गोरवारी की तरफ जाने वाली सड़क के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेत्तृत्व में थाना अन्तू के उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह का सन्दीप यादव, का० लाखन सिंह, का० जितेन्द्र यादव,का0 लोकेन्द्र सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त रविन्द्र यादव उर्फ गुल्लू यादव पुत्र राम आसरे यादव निवासी ग्राम महमदापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष को 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 पल्सर मोटरसाइकिल (काले रंग) के साथ थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत खैरा गोरवारी की तरफ जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया है। बरामद मोटरसाइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया।

➡गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना अन्तू पर मु0अ0सं0 227/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रविन्द्र यादव उर्फ गुल्लू यादव पुत्र राम आसरे यादव निवासी ग्राम महमदापुर उम्र 21 वर्ष थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 पल्सर मोटरसाइकिल (काले रंग) बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-
उ0नि0 चन्द्रबली सिंह मय हमराह का सन्दीप यादव, का० लाखन सिंह, का० जितेन्द्र यादव,का0 लोकेन्द्र सिंह थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।